

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
(कोर्ट कैम्प उप तहसील मारोठ दिनांक 27.02.2025)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 28.02.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुरती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुरती इत्यादि दुरुरस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, ज-आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारा हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम	शुद्ध व दुरुरस्त किये जाने वाला इन्द्राज
35/2025	गेन्दीलाल पुत्र मदनाराम कुमावत	नोलासियां/शिमभूपुरा	31/52	212	गेन्दाराम पुत्र जाति कुम्हार	गेन्दीलाल पुत्र मदनाराम कुमावत
			22/53	174		
			23/34	451/173		
36/2025	हनुमानराम पुत्र नुन्दाराम जाट	मारोठ/मारोठ	368/349	750, 751, 752	हनुमानराम पुत्र नुन्दाराम जाट	हनुमानराम पुत्र नुन्दाराम जाट
37/2025	पुसाराम पुत्र शिवलाल जाट	मारोठ/मारोठ	37/32	1269, 1270, 1271	पुसाराम पुत्र श्योलाल	पुसाराम पुत्र शिवलाल जाट

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।
यह आदेश आज दिनांक 28/02/2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 28.02.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/ 16

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)